

अजमेर न्याय अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/225

श्रीमती सरदारी V/S ताराचंद वगैरे

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

R-14 3, 5, 9 &

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

2022/373

श्री पी.ए. 1651

श्री राधेपेठ सिंह-4 64-8

26/9
23

श्रीमती सरदारी बनाम ताराचंद वगैरेह (2022/373)
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत ने दिनांक 12.01.2023 से आज दिनांक तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 6, 7 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश नहीं किये एवं 09 बांर अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश नहीं किये है। जाप्ता दीवानी के आदेश 09 नियम 5 के प्रावधानों अनुसार न्यायालय के आदेश के तहत रेस्पोंडेन्ट संख्या 6, 7 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश नहीं कर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है।
अतः अपील अपीलांत आदेश 09 नियम 5 जाप्ता दीवानी (अपील अदम तकमील में) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर